ग्राम पंचायत मकडोली, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016
भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावनाः—** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मकडोली, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती चम्पा देवी	01.04.13 से 22.01.16
2	श्री संजय सिंह	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती अनुबाला	01.04.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत मकडोली के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का सार	₹ लाखों में
1	6	खाता (ख) में अर्जित ब्याज को खाता (क) में अन्तरित न करना	0.50
2	8	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि	0.05
3	9	अनुदानों का उपयोग न करना	6.97
4	10	औपचारिकताएँ पूर्ण किए बिना स्टॉक की खरीद	5.71

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत मकडोली, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरबीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 21.9.16 से 27.09.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 11/13, 3/15 व 6/15 तथा 8/13, 2/15 व 6/15 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत मकडोली, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 160 दिनांक 27.09.16 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत मकडोली से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत मकडोली द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(1) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत मकडोली के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	191567	387517	579084	442290	136794
2014–15	136794	301997	438791	281813	156978
2015–16	156978	187698	344676	276552	68124

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत मकडोली के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	446993.56	2035286.94	2482280.50	2116697	365583.50
2014–15	365583.50	1692027	2057610.50	1453674	603936.50
2015–16	603936.50	2368415	2972351.50	2275737	696614.50
		स्वःस्त्रोत व अनुदान राशि का कुल योग			**₹764738.50**

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्रमांक	अनुदान का नाम	कांगड़ा राज्य सहकारी बैंक मकडोली स्थित खाता सं0	राशि
1	सभा निधि	20158004948	67903
2	मनरेगा	20158015349	0
3	आई0ए0 वार्ड	50055745776	0
4	रायल्टी	50061615069	22041
5	13वां वित्त	50055745584	479105
6	आई0 डब्लयू एम0पी0–16	33273005435 (SBI Rehan)	6206
7	आई0 डब्लयू डी0पी0	20158005001	93459
8	रायल्टी IWMP-16	50062112531	5663
9	आई0 डब्लयू डी0पी0	33273005435 (SBI Rehan)	54
10	13वां वित्त	55055745765	14363.50
11	टी0एस0ई0	50055745801	57558
12	आर0ए0 वाई	20158004948	0
13	VKVNY	50056024504	4108
14	HRNM	50055745798	14057
		जोड़	**₹764517.50**

(1) अन्तशेष का विवरणः–

(क)	दिनांक 31.3.16 की वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष	₹764738.50
(ख)	दिनांक 31.3.16 को बैंक में कुल जमा राशि	₹764517.50
(ग)	**हस्तगत राशि**	**₹221**

5 रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाऐगें और आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता

पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जायेगा परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ बही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 खाता "ख" में अर्जित ₹0.50 लाख ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में अर्जित ब्याज को उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था परन्तु ब्याज की राशि को अन्तरित नहीं किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता संख्या	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	कुल ब्याज (₹)
20158015349	3917	–	–	3917
50055745776	501	199	19	719
50061615069	–	–	146	146
50055745584	1582	5718	8405	15705
33273005435	–	1609	4454	6063
20158005001	3994	3397	3639	11030
50062112531	–	–	87	87
33273005435	1212.44	52	–	1264.44
50055745765	76	325	762	1163

50055745801	1105	671	3337	5113
50056024504	190	2978	670	3838
50055745798	54	108	410	572
जोड़	**12631.44**	**15057**	**21929**	**49617.44**

7 वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाना अपेक्षित है। जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जायेगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्व ₹0.05 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹0.05 लाख की वसूली शेष थी।

गृहकरः–

वर्ष	अथशेष ₹	मांग ₹	योग ₹	प्राप्ति ₹	वसूली हेतु शेष ₹
2013–14	2065	17590	19655	शून्य	19655
2014–15	19655	17590	37245	शून्य	37245
2015–16	37245	17590	54835	49840	4995

(2) भू राजस्वः–

वर्ष	अथशेष ₹	मांग ₹	योग ₹	प्राप्ति ₹	वसूली हेतु शेष ₹
2013–14	शून्य	997	997	997	शून्य
2014–15	शून्य	997	997	997	शून्य
2015–16	शून्य	997	997	997	शून्य

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

9 अनुदान ₹6.97 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹696615 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹5.71 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹571273 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकता को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12

2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	–
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

12 सहभागी समिति गठित किए बिना ₹9.00 लाख के कार्य निष्पादन बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 के अनुसार प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए पृथक सहभागी समिति गठित की जाएगी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित निम्न मामलों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹900000 का व्यय बिना सहभागी समिति के गठन के किया गया। अतः निर्माण कार्यों का निष्पादन बिना सहभागी समिति के गठन के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में प्रत्येक संकर्म का निष्पादन के लिए सहभागी समिति गठित की जानी सुनिश्चित की जाए।

13 क्रय की गई ₹0.05 लाख की लेखन सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के निमय 72 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्टॉक/स्टोर कार्य 25 से 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है परन्तु परिशिष्ट "4" में दिए गए वाऊचरों की जाँच में पाया गया कि लेखन सामग्री की खरीद को भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है। जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः उक्त बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 75 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

G.P. Makroli

15 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

16 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 45/2016—खण्ड—1 —1073—1076 दिनाँकः16.02.2017
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत मकड़ोली, विकास खण्ड इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

ग्राम पंचायत मकड़ोली विकास खण्ड इन्दौरा (कांगड़ा) द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

(परिशिष्ट–2) (पैरा–10 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	वा0स0/दिनांक	विवरण	राशि
1	सभा निधि	18/5.7.14	श्री बलविन्द्र सिंह द्वारा रेत, बजरी आदि की आपूर्ति का भुगतान	14000
2	सभा निधि	27/15.8.14	श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा पत्थर, रेत, बजरी आदि की आपूर्ति का भुगतान रेत 950x21 m3=19950 Aggri 950x39m3=37050 Bolder 550x12m3=6600 11 days water tank =8800 72400 Paid 72306	72306
3	सभा निधि	58/7.1.15	श्री बलविन्द्र सिंह द्वारा रेत, बजरी आदि का भुगतान रेत 38m3x1200=45600 बजरी 20m3x1400=28000 73600	73600
4	मनरेगा	51/8.10.13	श्री बलविन्द्र सिंह द्वारा रेत, बजरी आदि का भुगतान बिल 52295 भुगतान 52242	52242
5	मनरेगा	83/4.1.14	श्री बलविन्द्र सिंह द्वारा रेत, बजरी, बोल्डर आदि का भुगतान	59476
6	मनरेगा	92/1.2.14	–यथोपरि–	48200 319824
7	सभा निधि	39/5.9.14	श्री राजेश सिंह रेत,पत्थर, बजरी आदि का भुगतान	46100
8	सभा निधि	40/5.9.14	श्री राजेश सिंह द्वारा सीमेन्ट की ढुलाई का पानी के टैंक का किराया सीमेन्ट 150x16=2400 टैंक 800x7=5600	8000
9	सभा निधि	57/7.1.15	श्री बलविन्द्र सिंह द्वारा पत्थर की आपूर्ति का भुगतान 1400x203m	28000
10	सभा निधि	58/7.1.15	–यथोपरि– बजरी 38m3x1200	45600
11	सभा निधि	48/25.8.15	मै0 सौरभ गोल्डन टाईल्ज व हार्डवेयर स्टोर द्वारा सप्लाई की गई टाईल का भुगतान 1200x9=10800 (5=1485=12285)	12285
12	मनरेगा	21/7.10.14	श्री प्रतीम सिंह द्वारा सप्लाई किए गए रेत, बजरी आदि का भुगतान	47400
13	मनरेगा	22/7.10.14	–यथोपरि–	39264
14	IWMP-16	6/15.10.15	श्री बलविन्द्र सिंह द्वारा सप्लाई किए गए पत्थर का भुगतान 10m3x1500	15000
15	IWMP-16	7/15.10.15	श्री राजेश सिंह द्वारा रेत की सप्लाई का भुगतान 14m3x700	9800
			कुल	**₹571273**

सहभागी समिति गठित किए बिना कार्य निष्पादन

(परिशिष्ट–3) (पैरा–12 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	कार्य का नाम	राशि
1	VKVNY सभा निधि	निर्माण गली मेन रोड से बाबा सुरगल मन्दिर तक	200000
2	सभा निधि VKVNY	निर्माण सराय गांव सलाहना	150000
3	सभा निधि SRDF	निर्माण रिटेंनिंग वाल रा0व0मा0पा0 मकड़ोली	150000
4	मनरेगा	लैंड लैवलिंग प्रोटैक्शन वाल (Soil consevation) दिलवाग सिंह के खेत से जरनैल सिंह के खेत तक	200000
5	मनरेगा	निर्माण साईड दीवार नाली निर्माण मोहल्ला पारला वार्ड–5	200000
		कुल	**₹900000**

क्रय की गई लेखन सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करनाः–

(परिशिष्ट–4) (पैरा–13 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	वा0सं0 / दि0	विवरण	राशि
1	सभा निधि	75 / 26.2.15	मै0 अभिनय आफसैट प्रिंटर्ज से खरीद किए गए लेखन सामग्री का सामान	2208
2	सभा निधि	90 / 5.11.15	–यथोपरि–	2573
			कुल	**₹4781**

G.P. Makroli